न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04/2020 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. सांवलराम पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी रामबास(ऐचेडी), तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थी

(ग्राम रामबास तहसील बसवा में सांवलराम पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी रामबास को आवंटित की गई भूमि का आवंटन भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त करने बाबत्)

उपस्थिति : श्री राजेश कुमार शर्मा पैरोकार सरकार उपस्थित।
: श्री राजकुमार तिवाडी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 20.05.2024

संक्षिप्त में तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम रामबास तहसील बसवा में सांवलराम पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी रामबास को खसरा नम्बर 443 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 444 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 483 रकबा 0.08 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 है. भूमि ग्राम रामबास में वर्ष 2005 में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। तत्पश्चात् उक्त आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 31.05.2005 दर्ज किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2065 के खाता संख्या 86 पर गैर खातेदारी दर्ज किया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 95 के द्वारा आवंटी को दिनांक 20.11.2010 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। उक्त आवंटित की गई भूमि के हाल खसरा नम्बर 443, 444 के साबिक खसरा नम्बर 180 व 483 के साबिक खसरा नम्बर 254/6 है। आवंटी एवं खातेदार सांवलराम पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी रामबास के पक्ष में आंवटित की गई भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने(तालाबी भूमि) के कारण निरस्त योग्य है। उक्त आवंटी सांवलराम को आवंटित खसरा नम्बर 443, 444 को गै. मु. तलाई से परिवर्तित करके सिवायचक भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज किये जाने से इन सिवायचक खसरा नम्बरों का आवंटन आवंटी सांवलराम के नाम हो गया। पैराकार सरकार तहसीलदार बसवा द्वारा भूमिधारी(तहसीलदार) की हैसियत से तालाबी भूमि का आवंटन निरस्त करने हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटी सांवलराम पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी रामबास तहसील बसवा के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र 14(4) इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार तिवाडी उपस्थित आये। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रामबास तहसील बसवा स्थित भूमि खसरा नम्बर 443 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 444 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 483 रकबा 0.08 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 है. भूमि ग्राम रामबास में वर्ष 2005 में कृषि प्रयोजनार्थ सांवलराम पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी रामबास(ऐचेडी), तहसील बसवा जिला दौसा को आवंटित की गई थी। जिस पर आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 31.05.2005 दर्ज किया जाकर सम्वत 2065 की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
दौसा

जमाबन्दी के खाता संख्या 86 पर गैर खातेदारी दर्ज किया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 95 द्वारा आवंटी को दिनांक 20.11.2010 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। मिलान क्षेत्रफल 2052–71 के अनुसार आवंटित भूमि के हाल खसरा नम्बर 443, 444 के साबिक खसरा नम्बर 180 व खसरा नम्बर 483 के साबिक खसरा नम्बर 254/6 थे। खतौनी सम्वत 2017 में उक्त खसरा नम्बर 180 की किस्म भूमि गैर मु. तलाई व खसरा नम्बर 254/6 बंजड अव्वल दर्ज है। वर्तमान रिकॉर्ड में किस्म चाही 3 व जाव दर्ज है। किस्म परिवर्तन सम्वत 2052–71 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बदली गई है। आवंटी एवं खातेदार सांवलराम पुत्र कल्याण जाति मीना निवास रामबास को आंवटित भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने(तालाबी भूमि) होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2052–71 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 443, 444 के साबिक खसरा नम्बर 180 ग्राम रामबास किस्म गैर मु. तलाई भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है। भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान ग्राम रामबास के साबिक खसरा नम्बर 180 कुल रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि किस्म गैर मु. तलाई रही थी। जिसके समर्थन में खतौनी सम्वत 2017 संलग्न पेश की गई है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा इस खसरा नम्बर 180 किस्म गैर मु. तलाई के नवीन खसरे बनाये गये, जिसमे से उक्त आवंटी सांवलराम को आवंटित खसरा नम्बर 443, 444 को गैर मु. तलाई से परिवर्तित करके सिवायचक भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज किये जाने से इन सिवायचक खसरा नम्बरों का आवंटन आंवटी सांवलराम के नाम हो गया। आवंटी सांवलराम को आवंटित की गई भूमि अब्दुल रहमान से प्रभावित होने के कारण आवंटी को किया गया आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। अतः आवंटी सांवलराम पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी रामबास तहसील बसवा को किया गया भूमि आवंटन खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया गया कि ग्राम रामबास तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 443 रकबा 0.15 है, 444 रकबा 0.08 है, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.08 है. कुल किता 3 रकबा 0.31 है. स्थित है, जिसकी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अप्रार्थी सांवलराम पुत्र कल्याण जाति मीना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सांवलराम को उक्त भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियम के तहत किया गया है। जिसका गैर खातेदारी का नामान्तरकरण 42 दिनांक 31.05.2005 को खोला गया तथा नामान्तरकरण संख्या 95 दिनांक 20.11.2010 द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। अप्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार एवं काबिज काश्तकार है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त आवंटन से पूर्व से ही चला आ रहा है। हाल खसरा नम्बर 443, 444, 483 के सेटलमेन्ट विभाग से पूर्व साबिक खसर नम्बर 180 मिन थे। साबिक खसरा नम्बर 180 राजकीय खाते में दर्ज भूमि थी। साबिक खसरा नम्बर 180 के एकीकरण से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 457/1/1, 457/1/2, 450/1/3 थे। उक्त भूमि साबिक रिकॉर्ड सम्वत 2008 से 2022 खतौनी बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 457 सिवायचक लगानी कॉलम नम्बर 4 में दर्ज रिकॉर्ड है तथा उससे पूर्व कॉलम नम्बर 3 में जगदीश चन्द के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार से उक्त भूमि कभी भी गैर मुमकिन तलाई की भूमि नहीं रही है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सांवलराम पुत्र कल्याण को खातेदारी अधिकार तहसीलदार द्वारा दिये जा चुके है। तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में अलॉटमेन्ट से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी को अलॉट की गई भूमि कृषि योग्य भूमि है। भूमि की किस्म अलॉटमेन्ट खारिज किये जाने का आधार नहीं है। अतः अप्रार्थी आवंटी सांवलराम पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी रामबास तहसील बसवा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2023(1) P-559 R.B. महेन्द्रनाथ चतुर्वेदी बनाम सरकार, RBJ 2021 P-747 R.B. प्रभु बनाम हरदोई, RRD 2018 P-479 H.C. राज. सरकार बनाम शंकरलाल, RRD 2017(2)P-972 R.B. पन्नी बनाम राज.सरकार, RRD 1008 [illegible] R.B. [illegible] बनाम छाजूराम, RRD 2006 P-135 R.B. रामखिलाडी बनाम दौलतराम, RBJ(8)2001 P-1[illegible] R.B. शंकरलाल बनाम राज.सरकार प्रस्तुत किये गये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
दौसा

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अनुसार खतौनी सम्वत 2017 में हाल खसरा नम्बर 443, 444 के साबिक खसरा नम्बर 180 मि. की किस्म गैर मुमकिन तलाई व खसरा नम्बर 483 के साबिक खसरा नम्बर 254/6 मि. की किस्म बंजड अव्वल दर्ज है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भूमि एकीकरण विभाग खतौनी(जमाबन्दी) सम्वत 2017 ग्राम जैतपुरा रामबास जिसके कॉलम नम्बर 3 में जगदीश चन्द वल्द किशन चन्द का नाम दर्ज होना अंकित किया गया है उक्त जमाबन्दी में भी प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 180 गैर मुमकिन तलाई दर्ज है। इस प्रकार आवंटित प्रश्नगत भूमि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार आवंटित उक्त खसरा नम्बर 443, 444 साबिक खसरा नम्बर 180 से बने है। प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन तलाई की भूमि होने के कारण से यह आवंटन अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने से रेफरेन्स किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम रामबास तहसील बसवा में सांवलराम पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी रामबास को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 443 रकबा 0.15 है. खसरा नम्बर 444 रकबा 0.08 है. गैर मुमकिन तलाई की भूमि एवं खसरा नम्बर 483 रकबा 0.08 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 है. बजंड अव्वल होने के कारण अब्दुल रहमान बनाम राज. सरकार से प्रभावित होने के कारण उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवंटित भूमि के सन्दर्भ में अपेक्षित दस्तावेज सहित रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:50 IST
Reason: SelfAttested